

2462

का. प्रा. 1549:- केन्द्रीय सरकार ने, प्राचीन संस्मारक तथा पुरावत्कीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 के उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के संस्कृति विभाग (मार्तीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिमूचना सं. का. प्रा. 3050 तारीख 30 अक्टूबर, 1990 द्वारा जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 17 नवम्बर, 1990 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिमूचना की अनुसूची में विनीत संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मांग की सूचना दी थी और उक्त अधिमूचना का एक प्रति उक्त संस्मारक के नये सहज दृश्य पर लगा दी गई थी :

और उक्त राजपत्र 22 नवम्बर, 1990 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;


और केन्द्रीय सरकार की जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दृग्गोच्य उपलब्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित करती है ।

अनुसूची

राज्य	जिला	परिक्षेत्र	संस्मारक/स्थल का नाम	संरक्षण के लिए शामिल किए जाने वाले राजस्व प्लॉट संख्या	क्षेत्र	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	धार	वास्वी	शैलकामितनंदिर	नीचे दिए गए स्थल रेखांक में दर्शित सर्वेक्षण प्लॉट सं. 138/1क/1 का भाग	2.32 हेक्टेयर	उत्तर: सर्वेक्षण प्लॉट सं. 166 पूर्व : सर्वेक्षण प्लॉट सं. 138/1क/1 का भाग दक्षिण : 5 सर्वेक्षण प्लॉट संख्यांक 138/1क/1 का भाग पश्चिम: सर्वेक्षण प्लॉट सं. 138/1क/1 का भाग
संश्लिखित						टिप्पणियां
8						9
मध्य प्रदेश सरकार						

मानचित्र



[सं. 2/25-88-एम.]

1549.—Whereas by a notification of the Government of India in the Department of Archaeology (Archaeological Survey of India) No. S.O. 1549 dated the 30th October, 1990 published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 17th November, 1990, the Central Government gave two months notice of its intention to declare the monument specified in the Schedule to the said notification to be of national importance and a copy of the notification was placed in a conspicuous place near the said monument as required by sub-section (1) of section 4 of

the Ancient Monuments and Archaeological Site and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

And whereas the said Gazette was made available to the public on 22nd November, 1990;

And whereas no objections from the public has been received by the Central Government;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section 3 of section 4 of the said Act, the Central Government hereby declares the ancient monument specified in the Schedule annexed hereto to be of national importance.

SCHEDULE

State	District	Locality	Name of Monument Site	Revenue plot numbers included under protection	Area	Boundaries	Ownership
1	2	3	4	5	6	7	8
Madhya Pradesh	Dhar	Wasvi	Rock Cut. Temple	Part of survey plot number 138/1 7/1 as shown in the site plan reproduced below	2.32 Hect.	North : Survey plot number 166 East : Remaining part of survey plot number 138/1 7/1 South : Remaining part of survey plot number 138/1 7/1 West : Remaining part of survey plot number 138/1 7/1	Madhya Pradesh Government

Site Plan

